

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोक

इजलास डा.नीलम मीणा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :-74/2018

निर्णय दिनांक:- 7/04/2022

## उनवान

1. पप्पू पुत्र लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
2. गणेश पुत्र लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
3. टीना उर्फ चमेली पुत्री लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
4. गल्लो पुत्री लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
5. आशा पुत्री लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
6. हंसा पुत्री लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
7. चन्दा पुत्री लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
8. रूकमीण पत्नी लक्ष्मण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
9. महेश पुत्र राजू नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
10. पिन्दू पुत्र राजू नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
11. सुमन पुत्री राजू नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
12. पूनम पुत्री राजू नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
13. रूपा पुत्र गोकल नारायण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
14. तुलसी राम पुत्र गोकल नारायण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
15. गोपी पुत्र गोकल नारायण नाई निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक

## बनाम

1. गिरिराज पुत्र मनफुल गुर्जर निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोक
3. उपजीयक निवाई जिला टोक

उपस्थित :- 1 श्री कौशल किशोर जाट (अधिवक्ता वादीगण)  
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

## निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 732 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 733 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 734 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल कित्ता 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 वर्णित आराजीयात में अपने अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज काश्त है जिसका मौके व कब्जे अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामिल गैर हाजिर होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बहड तहसील निवाई के खसरा संख्या 732,733,734 कुल कित्ता 3 रकबा 18 बीघा

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) निवाई



03 बिस्वा भूमि का कब्जे व मौके के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाइ को विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।


तहसीलदार निवाइ द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 22.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 कब्जे काश्त आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है।

| क्र. स. | ग्राम का नाम | खातेदार का नाम<br>मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार<br>अंकन संवत् 2072-73   | ख.न.              | रकबा                 |
|---------|--------------|--|-------------------|----------------------|
| 1       | बहड          | लक्ष्मण, राजू, रूपा, तुलसीराम,<br>गोपी पिता गोकल नारायण व<br>चम्पा मांगी पुत्रिया गोकल नारायण<br>हि. 7/8 कोम नाई गिराज पुत्र<br>मनफुल हिस्सा 1/8 कोम गुर्जर<br>सा. देह खातेदार | 732<br>733<br>734 | 8-05<br>2-15<br>7-03 |
|         | योग          |  | 3                 | 18-03                |

| क्र. स. | ग्राम का नाम | खातेदार का नाम<br>मोके पर काबिज काश्त अनुसार<br>खातेदार का नाम   | ख.न.                | रकबा                 |
|---------|--------------|--|---------------------|----------------------|
| 1       | बहड          | गिराज पुत्र मनफुल गुर्जर सा.देह<br>खातेदार   | 732/1               | 2-05                 |
| 2       |              | लक्ष्मण, राजू, रूपा, तुलसीराम,<br>गोपी पिता गोकलनारायण चम्पा,<br>मांगी पुत्रिया गोकल नारायण नाई<br>सा. देह खातेदार | 732/2<br>733<br>734 | 6-00<br>2-15<br>7-03 |
|         | योग          |  | 3                   | 15-18                |

तहसीलदार निवाइ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री जारी हो फ्रीकेन खर्च अपना अपना वहन करे। यह निर्णय आज दिनांक 7/4/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 7/4/22  
 डा.नीलम मीणा  
 (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाइ

**न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक**  
**(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)**  
 (डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई )


**उनवान**  
**पप्पू बनाम गिरिराज वगै.**  
**दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**  
 मुकदमा नम्बर :- 74/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. व हाजरी श्री कौशल किशोर जाट वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट पर बहस एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्तं खातेदारी भूमि ग्राम खसरा संख्या 732,733,734 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2072-73  | ख.न.              | रकबा                 |
|----------|--------------|---|-------------------|----------------------|
| 1        | बहड          | लक्ष्मण, राजू, रूपा, तुलसीराम, गोपी पिता गोकल नारायण व चम्पू मांगी पुत्रिया गोकल नारायण हि. 7/8 कोम नाई गिराज पुत्र मनफुल हिस्सा 1/8 कोम गुर्जर सा. देह खातेदार | 732<br>733<br>734 | 8-05<br>2-15<br>7-03 |
|          | <b>योग</b>   |   | 3                 | 18-03                |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खातेदार का नाम मोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम  | ख.न.                | रकबा                 |
|----------|--------------|---|---------------------|----------------------|
| 2        | बहड          | गिराज पुत्र मनफुल गुर्जर सा.देह खातेदार   | 732/1               | 2-05                 |
| 2        | बहड          | लक्ष्मण, राजू, रूपा, तुलसीराम, गोपी पिता गोकलनारायण चम्पा, मांगी पुत्रिया गोकल नारायण नाई सा. देह खातेदार | 732/2<br>733<br>734 | 6-00<br>2-15<br>7-03 |
|          | <b>योग</b>   |   | 3                   | 15-18                |

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे। बसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7/04/2022 को जारी की गई।

  
 डा.नीलम मीणा  
 (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई